परिशिष्ट

II

संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषय
(Subjects of Union, State and Concurrent Lists)

संघसूची (सूची-1)

1. भारत की रक्षा
2. नौसेना, सेना और वायुसेना: संघ के अन्य सशस्त्र बल

2a. संघ के किसी सशस्त्र बल का किसी राज्य में सिविल शक्ति की सहायता में अभिनियोजन

3. छावनी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन
4. नौसेना, सेना और वायुसेना संकर्म
5. आयुध अग्नायुध गोला बारूद और विस्फोटक
6. परमाणु ऊर्जा और उसके उत्पादन के लिए आवश्यक खनिज संपत्ति स्रोत
7. रक्षा उद्योग
8. केंद्रीय आसूचना और अन्वेषण ब्यूरो
9. रक्षा, विदेश कार्य या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक निरोध
10. विदेश कार्य
11. राजनयिक परिषदीय और व्यापारिक प्रतिनिधित्व
12. संयुक्त राष्ट्र संघ
13. अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगमों और अन्य निकायों में भाग लेना और उनमें किए गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन
14. विदेशों से संधि और करार करना
15. युद्ध और शांति
16. वैदेशिक अधिकारिता
17. नागरिकता, देशीयकरण और अन्यदेशीय
18. प्रत्यर्पण
19. पासपोर्ट और बीजा
20. भारत के बाहर के स्थानों के लिए तीर्थ
21. समुद्री डकैती और गहरे समुद्र या हवा में किए गए अपराधों एवं राष्ट्रों के कानूनों के खिलाफ अपराध
22. रेल
23. राष्ट्रीय राजमार्ग
24. अंतर्देशीय जलमार्गों पर पोत परिवहन और नौपरिवहन
25. समुद्री पोत परिवहन और नौपरिवहन
26. प्रकाश स्तंभ, पोत परिवहन और वायुयानों की सुरक्षा के लिए
27. महापत्तन
28. पत्तन संगरोध, नाभिक एवं मरीन अस्पताल
29. वायुमार्ग वायुयान और विमान चालन

30. रेल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा अथवा यंत्र नोदित जलयानों में राष्ट्रीय जलमार्गों द्वारा यात्रियों और माल का वहन
31. डाक-तार, टेलीफोन, बेतार, प्रसारण और वैसे ही अन्य संचार साधन
32. संघ की संपत्ति और उससे राजस्व किंतु किसी राज्य में स्थित संपत्ति के संबंध में, वहां तक के सिवाय जहां तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध करे, उस राज्य के विधान के अधीन रहते हुए
33. लोप
34. देशी राज्यों के शासकों की संपदा के लिए प्रतिपाल्य अधिकरण।
35. संघ का लोक ऋण
36. करेंसी, सिक्का निर्माण और वैध निविदा 37 विदेशी मुद्रा।
38. भारतीय रिजर्व बैंक
39. डाकघर बचत बैंक
40. भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा संचालित लाटरी
41. विदेशों के साथ व्यापार और वाणिज्य
42. अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य
43. व्यापार निगमों का, जिनके अंतर्गत बैकिंग बीमा और वित्तीय निगम हैं किंतु सहकारी सोसायटी नहीं हैं, निगमन विनियमन और परिसमापन
44. चाहे वे व्यापार निगम हों या नहीं, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है
45. बैंकिंग
46. विनिमय-पत्र, चेक, वचनपत्र और वैसी ही अन्य लिखतें
47. बीमा
48. स्टॉक एक्सचेंज और वायदा बाजार
49. पेटेंट, आविष्कार और डिजाइन प्रतिलिप्याधिकार व्यापार चिन्ह और पण्य वस्तु चिन्ह
50. बाटों और मापों के मानक नियत करना
51. भारत से बाहर निर्यात किए जाने वाले या एक राज्य से दूसरे राज्य को परिवहन किए जाने वाले माल की क्वालिटी के मानक नियत करना
52. वे उद्योग जिनके संबंध में संसद् ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीचीन है
53. तेल क्षेत्रों और खनिज तेल संपत्ति स्त्रोत, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद अन्य द्रव और पदार्थ जो ज्वलनशील हैं
54. खानों का विनियमन और खनिजों का विकास लोकहित में समीचीन
55. खानों और तेलक्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन
56. अंतर्राज्यीय नादियों और नदी दूनों का विनियमन और विकास
57. राज्यक्षेत्रीय सागरखंड से परे मछली पकड़ना और मत्स्य क्षेत्र
58. संघ के अभिकरणों द्वारा नमक का विनिर्माण, प्रदाय और वितरण
59. अफीम की खेती, उसका विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय
60. प्रदर्शन के लिए चलचित्र फिल्मों की मंजूरी
61. संघ के कर्मचारियों से संबंधित औद्योगिक विवाद
62. राष्ट्रीय पुस्तकालय भारतीय संग्रहालय इंपीरियल युद्ध संग्रहालय, विक्टोरिया स्मारक और भारतीय युद्ध स्मारक नामों से ज्ञात संस्थाएं और भारत सरकार द्वारा पूर्णत: या भागत: वित्त पोषित और संसद् द्वारा विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित वैसी ही कोई अन्य संस्था
63. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय नामों से ज्ञात संस्थाएं राष्ट्रीय महत्व की घोषित कोई अन्य संस्था
64. राष्ट्रीय महत्व वैज्ञानिक या तकनीकी शिक्षा संस्थाएं
65. प्रशिक्षण अनुसशान या अपराध का पता लगाने के लिए संघ की एजेंसियां और संस्थाएं
66. उच्चतर शिक्षा या अनुसंधान संस्थाओं में तथा वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं में मानकों का समन्वय और अवधारण
67. राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक और अभिलेख तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष

68. भारतीय सर्वेक्षण भारतीय भूवैज्ञानिक वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान और मानव शास्त्र सर्वेक्षण मौसम विज्ञान संगठन
69. जनगणना
70. संघ लोक सेवाएं: अखिल भारतीय सेवाएं, संघ लोक सेवा आयोग
71. संघ की पेशनें अर्थात भारत सरकार द्वारा या भारत की संचित निधि में से संदेय पेंशनें
72. संसद के लिए राज्यों के विधान-मंडलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन निर्वाचन आयोग
73. संसद सदस्यों के राज्य सभा के सभापति और उपसभापति के तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते
74. संसद के प्रत्येक सदन की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति एवं प्रत्येक सदन की समितियां और सदस्य
75. राष्ट्रपति का वेतन एवं सेवा शर्तें, कैबिनेट के मंत्री और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
76. संघ के और राज्यों के लेखाओं की संपरीक्षा
77. उच्चतम न्यायालय का गठन संगठन अधिकारिता और शक्तियां
78. किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का किसी संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तारण
80. किसी राज्य के पुलिस बल के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का उस राज्य से बाहर किसी क्षेत्र पर विस्तारण
81. अंतरराज्यिक प्रव्रजन अंतरराज्यिक करंतीन
82. कृषि-आय से भिन्न आय पर कर
83. सीमाशुल्क जिसके अंतर्गत निर्यात शुल्क है
84. भारत में विनिर्मित या उत्पादित तंबाकू और अन्य माल पर उत्पादन-शुल्क जिसके अंतर्गत मानवीय उपभोग के लिए ऐल्कोहाली लिकर, अफीम इंडियन हेंप और अन्य स्वापक औषधियां तथा स्वापक पदार्थ नहीं हैं। किंतु ऐसी औषधियां और प्रसाधन निर्मितियां हैं, जिनमें एल्कोहल या इस प्रविष्टि के उप-पैरा का कोई पदार्थ अंतर्विष्ट है
85. निगम कर
86. व्यष्टियों और कंपनियों की आस्तियों के, जिनके अंतर्गत कृषि भूमि नहीं है, पूंजी मूल्य पर कर कंपनियों की पूंजी पर कर
87. कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के संबंध से संपदा
88. कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क
89. रेल, समुद्र या वायुमार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले माल या यात्रियों पर सीमा कर रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर
90. स्टॉक एक्सचेंजों और वायदा बाजारों के संव्यवहारों पर स्टांप-शुल्क से भिन्न कर
91. विनिमय-पत्रों चेकों वचनपत्रों प्रत्ययपत्रों बीमा पॉलिसियों, शेयरों के अंतरण डिबेंचरों परोक्षियों और प्राप्तियों के संबंध में स्टांप-शुल्क की दर
92. समाचार-पत्रों के क्रय या विक्रय और उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर

92क. समाचार पत्रों से भिन्न माल के क्रय या विक्रय पर उस दशा में कर जिसमें ऐसा क्रय या विक्रय अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है

92ख. माल के परेषण पर उस दशा में जिसमें ऐसा परेषण अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है

92ग. कर एवं सेवाएं

93. इस सूची के विषयों में से किसी विषय से संबधित विधियों के विरुद्ध अपराध
94. इस सूची के विषयों में से किसी विषय के प्रयोजनों के लिए जांच सर्वेक्षण और आंकड़े
95. उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में अधिकारिता और शक्तियां नावधिकरण विषयक अधिकारिता
96. इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में फीस, किंतु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं है
97. कोई अन्य विषय जो सूची 2 या सूची 3 में प्रगणित नहीं है और जिसके अंतर्गत कोई ऐसा कर है जो उन सूचियों में से किसी सूची में उल्लिखित नहीं है।

राज्य सूची (सूची -2)

1. लोक व्यवस्था
2. पुलिस
3. उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक
4. कारागर सुधारालय, बोर्स्टल संस्थाएं और उसी प्रकार की अन्य संस्थाएं
5. स्थानीय शासन
6. लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता
7. भारत से बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राओं से भिन्न तीर्थ यात्राएं
8. मादक लिकर
9. नि:शक्त और नियोजन के लिए अयोग्य की सहायता
10. शव गाड़ना और कब्रिस्तान शव-दाह और श्मशान
11. लोप
12. पुस्तकालय संग्रहालय या वैसी ही अन्य संस्थाएं राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक और अभिलेखों से भिन्न प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक और अभिलेखों से भिन्न प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक और अभिलेख
13. संचार अर्थात् सड़कें, पुल फेरी और अन्य संचार साधन जो सूची 1 में विनिर्दिष्ट नहीं है
14. कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि शिक्षा और अनुसंधान हैं
15. पशुधन का परिरक्षण, जीव-जंतुओं के रोगों का निवारण
16. कांजी हाउस और पशु अतिचार का निवारण
17. जल, अर्थात जल प्रदाय, सिंचाई और नहरें, जल निकास और तटबंध, जल भंडारकरण और जल शक्ति
18. भूमि अर्थात भूमि में या उसे पर अधिकार भूधृति जिसके अंतर्गत भूस्वामी और अभिधारी का संबंध है और भाटक का संग्रहण
19. लोप
20. लोप
21. मत्स्यन
22. प्रतिपाल्य-अधिकरण
23. संघ खानों का विनियमन और खनिज विकास
24. उद्योग
25. गैस और गैस संकर्म
26. राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य
27. माल का उत्पादन प्रदाय और वितरण
28. बाजार और मिलें
29. लोप
30. साहूकारी और साहूकार: कृषि ऋणिता से मुक्ति
31. पांथशाला और पांथशालापाल
32. ऐसे निगमों का, जो सूची 1 में विनिर्दिष्ट निगमों से भिन्न है और विश्वविद्यालयों का निगमन, विनियमन और परिसमापन अनिगामित व्यापारिक साहित्यिक वैज्ञानिक धार्मिक और अन्य सोसायटियां और संगम सहकारी सोसायटियां
33. नाट्यशाला और नाट्य प्रदर्शन सिनेमा: खेलकूद, मनोरंजन और आमोद-प्रमोद
34. दाव और द्यूत
35. राज्य में निहित या उसके कब्जे के संकर्म भूमि और भवन
36. लोप
37. राज्य के विधान-मंडल के लिए निर्वाचन
38. राज्य के विधान-मंडल के सदस्यों के, विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के और यदि विधान परिषद् है तो उसके सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते
39. विधान सभा की और उसके सदस्यों औश्र समितियों की तथा यदि विधान परिषद् है तो, उस विधान परिषद् की और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां:
40. राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्ते
41. राज्य लोक सेवाएं: राज्य लोक सेवा आयोग
42. राज्य की पेंशनें, अर्थात् राज्य द्वारा या राज्य की संचित निधि में से संदेय पेंशन
43. राज्य का लोक ऋण
44. निखात निधि
45. भू-राजस्व जिसके अंतर्गत राजस्व का निर्धारण और संग्रहण
46. कृषि-आय पर कर

47. कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क
48. कृषि भूमि के संबंध में संपदा-शुल्क
49. भूमि और भवनों पर कर
50. खनिज संबंधी अधिकारों पर कर
51. राज्य में विनिर्मित या उत्पादित निम्नलिखित माल पर उत्पाद-शुल्क और भारत में अन्यत्र विनिर्मित या उत्पादित वैसे ही माल पर उसी दर या निम्नतर दर से प्रतिशुल्क: मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहाली लिकर, अफीम, इंडियन हेंप और अन्य स्वापक औषधियां तथा स्वापक पदार्थ, किंतु जिसके अंतर्गत ऐसी ओषधियां और प्रसाधन निर्मितियां नहीं है। जिनमें एल्कोहाल या इस प्रविष्टि के उपपैरा (ख) का कोई पदार्थ अंतर्विष्ट है
52. किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिए माल के प्रवेश पर कर
53. विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर
54. समाचारपत्रों से भिन्न माल के क्रय या विक्रय पर कर
55. समाचारपत्रों में प्रकाशित और रेडियो या दूरदर्शन द्वारा प्रसारित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों पर कर
56. सड़कों या अंतर्देशीय जल मार्गों द्वारा ले जाए जाने वाले माल और यात्रियों पर कर
57. सड़कों पर उपयोग के योग्य यानों पर कर, चाहे व यंत्र नोदित हों या नहीं, जिनके अंतर्गत ट्रामकार हैं
58. जीव-जंतुओं और नौकाओं पर कर
59. पथकर
60. वृत्तियों, व्यापारों आजीविकाओं और नियोजन पर कर
61. प्रतिव्यक्ति कर
62. विलास वस्तुओं पर कर, जिसके अंतर्गत मनोरंजन, आमोद, दाव और द्यूत पर कर है
63. स्टांप-शुल्क की दरों के संबंध में सूची 1 के उपबंधों में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के संबंध में स्टांप-शुल्क की दर
64. इस सूची के विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध
65. उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में अधिकारिता और शक्तियां
66. इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में फीस, किंतु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं है

समवर्ती सूची (सूची-3)

1. दंड विधि जिसके अंतर्गत ऐसे सभी विषय जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आते है
2. दंड प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ऐसे सभी विषय है दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत है
3. किसी राजय की सुरक्षा लोक व्यवस्था बनाए रखने या समुदाय के लिए आवश्यक प्रदायों और सेवाओं को बनाए रखने संबंधी कारणों से निवारक निरोध: इस प्रकार निरोध में रखे गए व्यक्ति
4. बंदियों अभियुक्त व्यक्तियों को एक राज्य से दूसरे राज्य को हटाया जाना
5. विवाह और विवाह विच्छेद शिशु और अवयस्क दत्तक-ग्रहण विल निर्वसीयतता और उत्तराधिकार अविभक्त कुटुंब और विभाजन
6. कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति का अंतरण विलेखों और दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण
7. संविदाएं
8. अनुयोग्य दोष
9. शोधन अक्षमता और दिवाला
10. न्यास और न्यासी
11. महाप्रशासक और शासकीय न्यास

11क. न्याय प्रशासन उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों का गठन और संगठन

12. साक्ष्य और शपथ विधियों लोक कार्यो और अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता
13. सिविल प्रक्रिया, जिसके अतर्गत ऐसे सभी विषय है जो सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आते हैं।
14. न्यायालय का अवमान, किंतु इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का अवमान नहीं है
15. आहिंडन, यायावरी और प्रवासी जनजातियां
16. पागलपन और मनोवैकल्य

17. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण
17क. वन
17ख. वन्य जीव-जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण
18. खाद्य पदार्थों और अन्य माल का अपमिश्रण
19. मादक द्रव्य और विष
20. आर्थिक और सामाजिक योजना
20क. जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन
21. वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिकार गुट और न्यास
22. व्यापार संघ औद्योगिक और श्रम विवाद
23. सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा नियोजन और बेकारी
24. श्रमिकों का कल्याण, जिसके अंतर्गत कार्य की दशाएं, भविष्य निधि नियोजक का दायित्व कर्मकार प्रतिकर अशक्तता और वार्धक्य पेंशन तथा प्रसूति सुविधाएं हैं
25. शिक्षा, जिसके अंतर्गत तकनीकी शिक्षा आयुर्विज्ञान शिक्षा और विश्वविद्यालय है, श्रमिकों का व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण
26. विधि वृत्ति चिकित्सा वृत्ति और अन्य वृत्तियां
27. व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास
28. पूर्त कार्य और पूर्त संस्थाएं पूर्त और धार्मिक विन्यास और धार्मिक संस्थाएं
29. मानवों, जीव-जंतुओं या पौधों पर प्रभाव डालने वाले संक्रामक या सांसर्गिक रोग
30. जन्म-मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण है
31. महापत्तन घोषित पत्तनों से भिन्न पत्तन
32. राष्ट्रीय जल मार्गों के संबंध में अंतर्देशीय जल-मार्गों पर यंत्र नोदित जलयानों के संबंध में पोत-परिवहन और नौपरिवहन तथा ऐसे जल मार्गों पर मार्ग का नियम और अंतर्देशीय जल मार्गों द्वारा यात्रियों और माल का वहन
33क. बाट और माप, जिनके अंतर्गत मानकों का नियत किया जाना नहीं है
34. कीमत नियंत्रण
35. यंत्र नोदित यान जिसके अंतर्गत वे सिद्धांत हैं जिनके अनुसार ऐसे यानों पर कर उद्गृहीत किया जाना है।
36. कारखाने
37. बायलर
38. विद्युत
39. समाचारपत्र पुस्तकें और मुद्रणालय
40. राष्ट्रीय महत्व के घोषित पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों से भिन्न पुरातत्वीय स्थल और अवशेष
41. निष्क्रांत संपत्ति (जिसके अंतर्गत कृषि भूमि है)
42. संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण
43. किसी राज्य में, उस राज्य से बाहर उद्भूत कर से संबंधित दावों और अन्य लोक मांगों की वसूली जिनके अंतर्गत भू-राजस्व को बकाया और ऐसी बकाया के रूप में वसूल की जा सकने वाली राशियां है
44. न्यायिक स्टांपों के द्वारा संगृहीत शुल्कों या फीसों से भिन्न स्टांप-शुल्क किंतु इसके अंतर्गत स्टांप-शुल्क की दरें नहीं है
45. सूची 2 या सूची 3 में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय के प्रयोजनों के लिए जांच और आंकड़े
46. उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में अधिकारिता और शक्तियां
47. इसी सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में फीस, किंतु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने फीस नहीं है